

138141 - नबियों और रसूलों पर ईमान लाना ईमान के स्तंभों में से है, न कि केवल रसूलों पर ईमान लाना

प्रश्न

जिब्रील अलैहिस्सलाम की लम्बी हदीस में आया है कि उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ईमान के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ईमान के स्तंभों का उल्लेख किया और उसी में रसूलों पर ईमान लाना भी था। और जैसा कि यह बात सर्वज्ञात है कि प्रत्येक नबी रसूल नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो नबी है, रसूल नहीं है उसपर ईमान लाना अनिवार्य नहीं है?

विस्तृत उत्तर

जो ईमान लाना अनिवार्य है वह नबियों (ईशदूतों) और रसूलों (संदेशवाहकों) दोनों ही पर ईमान लाना है, केवल रसूलों पर नहीं। और यह धर्म के प्रमाण सिद्ध बातों तथा क्रान्ति करीम में स्पष्ट किए गए अक्रिदा (आस्था) के स्तंभों में से है:

अल्लाह तआला फरमाता है :

أُولَئِنَّى الَّذِينَ أَنْذَلَ اللَّهُ مِنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ { البَرْكَاتُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَا يَنْهَا يَنْهَا وَمَا يَمْلِئُ الْأَرْضَ إِلَّا مَا أَنْذَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍٰ مَّوْلَٰٰ يَوْمَ الْحِسَابِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍٰ مَّوْلَٰٰ}

(हे मुसलमानो!) तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए तथा उस (कुर्�आन) पर जो हमारी ओर उतारा गया और उसपर जो इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक, याकूब तथा उनकी संतान की ओर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, तथा जो दूसरे नबियों को उनके पालनहार की ओर से प्रदान किया गया। हम इनमें से किसी के बीच अन्तर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं।'' (सूरतुल बकरह :136).

तथा अल्लाह सब्हानह व तआला फरमाता है :

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِمُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَىٰهُمْ الْمَوْفُوفَ عَلَىٰ حِجَّةِ ذِي الْقُعْدَةِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّزْقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الْزَكَاةَ وَالْمُوْفُوفُ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (البقرة: 177)

“भलाई यह नहीं है कि तुम अपना मुख पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेर लो! भला कर्म तो उसका है, जो अल्लाह, अन्तिम दिन (प्रलय), फ़रिश्तों, सभी पुस्तकों और नबियों पर ईमान लाया। तथा धन का मोह रखते हुए, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों, यात्रियों तथा माँगनेवालों को और दास मृक्ति के लिए दिया, नमाज़ की स्थापना की, जकात दी, अपने वचन को, जब भी वचन दिया, पूरा करते

रहे एवं निर्धनता और रोग तथा युद्ध की स्थिति में धैर्यवान रहे। यही लोग सच्चे हैं तथा यही लोग (अल्लाह से) डरनेवाले हैं।" (सूरतुल बक़रह :177).

अतः आप सोचें और विचार करें कि किस प्रकार अल्लाह ने मोमिनों (विश्वासियों) के ऊपर सभी रसूलों और नबियों पर ईमान लाना अनिवार्य किया है, और उन में से इस्माईल, इस्हाक़ और उनकी संतान को नामित किया है। तथा अल्लाह ने बताया है कि मोमिन लोग नबियों और रसूलों में से किसी के बीच अन्तर नहीं करते, बल्कि वे लोग उस व्यक्ति को नास्तिक मानते हैं जिसने किसी ऐसे नबी के ईशदूतत्व का इन्कार किया जिसके ईशदूतत्व को अल्लाह ने प्रमाणित किया है। क्योंकि किसी एक रसूल (संदेशवाहक) या नबी (ईशदूत) का इन्कार सभी पैगंबरों का इन्कार है।

काज़ी अयाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं :

"जिस व्यक्ति ने अल्लाह तआला के अन्य नबियों को बुरा-भला कहा ... और उनका अपमान किया या जो संदेश वे लेकर आए उसके विषय में उन्हें झुठलाया, उनका इन्कार किया और उन्हें अस्वीकार किया, उसका हुक्म वही है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म है।" समाप्त हुआ।

"अशिफा" (2/1097)

शैखुल इस्लाम इब्न तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहते हैं :

"मुसलमान सभी नबियों पर ईमान लाते हैं, और उनमें से किसी के बीच कोई अन्तर नहीं करते। क्योंकि सभी नबियों पर ईमान लाना अनिवार्य है और जिसने उनमें से किसी एक का इन्कार किया तो उसने उन सब का इन्कार किया और जिसने नबियों में से किसी एक को बुरा-भला कहा तो वह काफिर है और उलमा की सर्व सहमति के साथ उसको क़त्ल करना अनिवार्य है।" समाप्त हुआ।

"अस्सफदिय्यह" (2/311)

अल्लामा अस-सअदी रहिमहुल्लाह ने - सूरतुल बक़रह की उपर्युक्त आयत की तफसीर (व्याख्या) में - फरमाया :

"इस आयत में उन सभी किताबों पर ईमान लाने का बयान है जो सभी नबियों पर उतारी गई, और सामान्य रूप से सभी नबियों पर ईमान लाने का बयान है, तथा विशेष रूप से जिनका इस आयत में नाम लिया गया है, उनकी माननीय स्थिति की वजह से और इस कारण से कि वे महान शरीअतें लेकर आए। अतः नबियों और किताबों पर ईमान लाने में जो चीज़ अनिवार्य है वह यह है कि उन पर सामान्य रूप से ईमान लाया जाए, फिर उनमें से जिसके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाए उसपर विस्तार से ईमान लाया जाए।" समाप्त हुआ। (तैसीरुल करीमिरू रह्यान : 67)

रही बात जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्रसिद्ध हदीस की जिसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह (हदीस संख्या : 8) ने रिवायत किया है, उसमें आया है कि : (जिब्रील ने कहा : आप मुझे ईमान के बारे में बताएँ। आपने फरमाया : ईमान यह

है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी (उतारी हुई) किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और अच्छी व बुरी तक्कीर पर ईमान रखो।)

यहाँ इस हडीस का मतलब यह नहीं है कि नबियों को छोड़ कर केवल रसूलों पर ईमान लाया जाए, बल्कि "रसूलों" का शब्द सभी नबियों को भी शामिल है। और यहाँ जो रसूलों का शब्द बोला गया है तो यह रसूलों के पहलू को प्राथमिकता देने के तोर पर है जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। इसका प्रमाण उपर्युक्त आयतें हैं जो सभी नबियों पर ईमान लाने की अनिवार्यता को दर्शाती हैं।

तथा नबियों और रसूलों के बीच अन्तर प्रत्येक संदर्भ में लागू नहीं होता है, बल्कि जब पाठ (अर्थात् कुरआन व हडीस की इबारतों) में दोनों शब्दों में से किसी एक का उल्लेख किया गया होता है: तो वहाँ नबी और रसूल दोनों मुराद होते हैं। उन दोनों के बीच अन्तर केवल तभी किया जाता है जब दोनों शब्द एक ही पाठ में दिखाई देते हैं।

और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।